

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2691] No. 2691] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 16, 2019/श्रावण 25, 1941

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 16, 2019/SHRAVANA 25, 1941

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 2019

का.आ. 2953(अ).—केंद्रीय सरकार, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का 26) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. 30/42/2019-दिवाला]

के. वी. आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 16th August, 2019

S.O. 2953(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Act, 2019 (26 of 2019), the Central Government hereby appoints the date of publication of this notification in the Official Gazette as the date on which the provisions of the said Act shall come into force.

[F. No. 30/42/2019-Insolvency]

K. V. R. MURTY, Jt. Secy.

4213 GI/2019